न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः– 15 / 2015
प्रविष्टि दिनांकः– 21.01.2015

उनवान

1.कजोड पुत्र बद्री ।
2.रामपाल पुत्र बद्री । जाति मोग्या, निवासी बावडी, तहसील टोडारायसिंह जिला
3. बद्री पुत्र जुवारा । टोंक राजस्थान। ..... अपीलाण्ट्स

बनाम

नायब तहसीलदार, उप तहसील बरवास, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राजस्थान।
..... रेस्पोडेण्ट

अपील अ0 धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्व निर्णय दिनांक 06.01.2015 नायब तहसीलदार,
उप तहसील बरवास, प्रकरण सं0 1338 / 2014

उपस्थितः (1)श्री मनीष कासलीवाल ..... अभिभाषक अपीलाण्ट्स
(2)श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय

दिनांक 29.09.2016

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार उप तहसील बरवास ने अपने निर्णय दिनांक 06.01.2015 के द्वारा सम्वत 2071 में अपीलाण्ट्स को आराजी ख0नं0 3548 रकबा 0–50 हे0 चरागाह वाके ग्राम बावडी तहसील टोडारायसिंह पर किये गये अतिक्रमण को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर बेदखल करने एवं लगान का 50 गुना 150 / –रूपये पेनल्टी कायम करते हुए 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है। अपीलाण्ट ने उक्त आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा तलबी जरिये नोटिस रेस्पोडेण्ट की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भी तलब की गई। विवादित आराजीयात बाबत रिपोर्ट भी अधीनस्थ न्यायालय से मंगवाई गई। बहस अभिभाषक अपीलाण्ट्स एवं राजकीय अधिवक्ता सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हलका की गलत रिपोर्ट को आधार मानकर तथा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा में अपना निर्णय बिना अपीलाण्ट्स का सबूत सफाई लिये पारित किया है। अपीलाण्ट्स गरीब, पिछडी जाति के भूमिहीन व्यक्ति है, जो उक्त भूमि ख0नं0 3548 रकबा 0.50 है0 पर पिछले 30 वर्षो से अधिक समय से काबिज है, पूर्व में कभी भी अपीलाण्ट्स

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

को उक्त भूमि से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया है, भूमि कभी चरागाह के रूप में काम में नहीं आई है, उक्त भूमि आबादी भूमि के समीप है, अपीलाण्ट गरीब व पिछडी मोग्या जाति के भूमिहीन व्यक्ति है पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने की कोई साक्ष्य नहीं है, निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई और न ही मौका निरीक्षण किया गया। जिरह का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.01.2015 निरस्त फरमाया जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स ने चरागाह भूमि पर कब्जा कर रखा है। मौका रिपोर्ट तहसीलदार देवली दि0 11.12.15 से जो न्यायालय द्वारा तलब की गई थी अनुसार अपीलाण्ट ने मौके पर विवादित आराजी पर पुख्ता मकान व झोपडिया बना कर कब्जा कर रखा होना बताया है। पूर्व में सम्वत 2068 में अपीलाण्ट्स द्वारा इसी भूमि पर कब्जा किया गया था जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बयान हल्का पटवारी व पश्चातवर्ती मिसल से सिद्व है। अतः चरागाह भूमि पर अपीलाण्ट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने से अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बरवास का निर्णय दिनांक 06.01.15 उचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का फैसला यथावत रखा जावे।

5. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का बावडी ने अपीलाण्ट्स द्वारा सम्वत 2071 में ख0नं0 3548 रकबा 0.50 हे0 भूमि चरागाह वाके ग्राम बावडी पर पुख्ता मकान व पडत कब्जा किये जाने बाबत अतिक्रमण को पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके आधार पर नायब तहसीलदार बरवास तह0 टोडारायसिंह ने अपने निर्णय दिनांक 06.01.15 द्वारा विवादित भूमि से बेदखल करने, शास्ति कायम करने एवं सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से ज्ञात होता है कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय दिनांक 06.01.15 को उपस्थित हुआ है। अपीलाण्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद न्यायालय के समक्ष कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। अतः अभिभाषक अपीलाण्ट्स का यह तर्क सही नहीं है कि उसे सुनवाई का अथवा सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया है। विवादित आराजीयात बाबत जांच रिपोर्ट जो अधीनस्थ न्यायालय से मंगवाई गई, उसके अनुसार उक्त भूमि में अपीलाण्ट्स के पुख्ता मकान होने व कच्ची झोपडिया होने व उसमे अपीलाण्ट्स का परिवार निवास करना अंकित किया है। हल्का पटवारी के बयान में पूर्व में सम्वत 2068 में अपीलाण्ट्स द्वारा इसी विवादित भूमि में अतिक्रमण करने पर उन्हें गत मिसल नं0 1195/11 दिनांक 02.09.11 को बेदखल किया गया है कि रिपोर्ट भी पत्रावली में संलग्न है। इस प्रकार पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात गत बेदखली की मिसल आदि से अपीलाण्ट्स का उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी सिद्व है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट्स के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। जिसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

आदेश

6. फलतः अपील अपीलाण्ट्स अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय (नायब तहसीलदार, उप तहसील बरवास तहसील टोडारायसिंह) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.01.2015 यथावत रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 29.09.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। 29/9/16

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)

Scanned by CamScanner